राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : पं. 5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक : 26 मई, 2000

परिपत्र

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 15.11.1999 द्वारा कृषि भूमि के नियमन संबंधी कार्य में दिन प्रतिदिन आने वाली बाधाओं के निराकरण हेतु शासन सचिव, नगरीय विकास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय स्थित उनके कक्ष में गठित एम्पावर्ड कमेटी की छठीं बैठक दिनांक 16.5.2000 में इस बात पर गहन विचार विमर्श के पश्चात् लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक पं. 3 (28) न.वि.वि./3/96 दिनांक 22.12.99 की निरन्तरता में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निम्न दरें तय की जाती हैं :-

1. निर्मित भूखण्डों के लिये :-

वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमित किये जाने वाला क्षेत्रफल	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ देय दर
1-110 वर्ग फुट	संबंधित जोन के लिये आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित देय दर + 5,000.00 रुपये
111-300 वर्ग फुट	संबंधित जोन के लिये आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित देय दर + 10,000.00 रुपये
301-500 वर्ग फुट	संबंधित जोन के लिये आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित देय दर + 20,000.00 रुपये
501 वर्ग फुट या उससे अधिक	संबंधित जोन के लिये आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित देय दर + प्रति 50 वर्गफुट या उसके अंश पर 2,500.00 रुपये

2. रिक्त भूखण्डों के लिये अर्थात् जिन भूखण्डों पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है :-

वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ देय राशि	संबंधित जोन के लिये आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित देय दर+ सामान्य नियमन दर का तीन गुणा राशि—उदाहरणार्थ यदि किसी जोन की सामान्य नियमन दर 50 रुपये प्रति वर्ग गज है तो उस जोन में रिक्त भूखण्डों की वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दर 200 रुपये प्रति वर्ग गज होगी।

(जी.एस. संधु)
शासन सचिव